(315)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

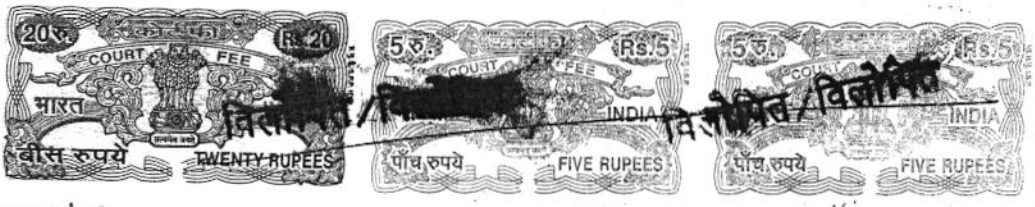

20 रु. कोर्ट फीस Rs. 20 COURT FEE भारत बीस रुपये TWENTY RUPEES विलो[redacted]/[redacted] 5 रु. COURT FEE Rs. 5 INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES विलोपित/विलोपित 5 रु. COURT FEE Rs. 5 INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES Rs. 30

R5065-II/17 लाल जी जायसवाल तनय श्री मूलचन्द्र जायसवाल, निवासी ग्राम झारा, तहसील सरई, जिला सिंगरौली म०प्र० - -- निगरानीकर्ता

बनाम

रामदास पिता शेषमन जायसवाल, निवासी ग्राम झारा, तहसील सरई, जिला सिंगरौली म०प्र० - -- गैरनिगरानीकर्ता

आवेदक अभिभाषक श्री आर.के. देव पाण्डेय एडवो. द्वारा पेश/14.2.17 14.2.17

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला सिंगरौली म०प्र० के प्रकरण क्र. 0023/आर.सी.एम. 5/अपील/2015-16 मे पारित आदेश दिनांक 29.12.2016, अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू राजस्व संहिता 1959ई. ।

===================================

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न है:-

1:- यह कि उक्त उन्मान की अपील अधीनस्थ न्यायालय मे आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई थी, जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सरसरी तौर पर आलोच्य पूर्ण आदेश पारित किया गया है, जिससे प्रथम दृष्टया अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

2:- यह कि विवादित भूमि मे वास स्थान दखलकार (भूमिस्वामी अधिकारी का प्रदाय किया जाना.) अधिनियम 1980 संशोधित दिनांक 4.9.2012 के अन्तर्गत भूमि नं0 1623 का पूरा रकबा म०प्र० शासन कीभूमि थी, जिसमेअपीलार्थी 0.02 हे. के अंशभाग मे अधिपत्यधारी अता 50 वर्ष पूर्व से मकान बनाकर कब्जे मे था व है, आज भी मौके से उक्त भूमि पर आबादी दर्ज है । अपीलार्थी/ निगरानीकर्ता भूमिहीन व्यक्ति है, उसके पास रहने व बसने के लिये कोई भूमि

लालजी B. Pandey Adv.

(315)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक R-5065 / II/2017 जिला सिंगरौली

लालजी जायसवाल / रामदास जायसवाल

(1)	(2)	(3)
18-12-18-	1. आवेदक की ओर से श्री अनूपदेव पाण्डेय अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला सिंगरौली के प्रकरण क्रमांक 0023 / आर0सी0यम05 / अपील / 2015–16 में पारित आदेश दिनांक 29.12.16 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 12.01.19 को कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	

मे था व है, आज भी मौके से उक्त भूमि पर आवादी दर्ज है । अपीलार्थी/ निगरानीकर्ता भूमिहीन व्यक्ति है, उसके पास रहने व बसने के लिये कोई भूमि

लालजी Bpandey